

220/14 डीएन/सोमाना
 न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

देनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
15/8	<p>फावली एमएम कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को नए फैसला वाद खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि विवाद को समाप्त करने में योग्य व सकारण फैसले की व्यवस्था से बनाये रखें। फावली एमएम सुनार दीवार गम्बर ले काठ हो तथा वाद न्यायिक प्रक्रिया शाद ही।</p>